

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::



राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प. 11(7)/वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12.09.08 एवं आदेश संख्या एफ 11(7)/वित्त (नियम) पार्ट-1/2008 दिनांक 06.08.2008 के अनुसरण में एवं राजस्थान पुनरीक्षित वेतनगान नियम 2017 के नियम 14 एवं 15 के तहत राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याताओं को कॉलम संख्या 07 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवायुधि पूर्ण करने पर उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) ग्रेड पे/पे मैट्रिक्स लेवल कॉलम संख्या 09 के अनुसार, कॉलम संख्या 10 में अंकित तिथि से स्वीकृत की जाती है।

क्र.सं	नाम कार्मिक गय पदस्थापन स्थान (राजगाधि/राबाउगाधि)	विषय	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्या० पद पर कार्यग्रहण एवं घयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी I,II,III	वेतन बेण्ड	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	भारती चौधरी, रायाउगाधि, टाटिया, सरदारसहर चूरु	जीव विज्ञान	09.07.1962	02.07.1990	डीपीसी	30 वर्षीय	-	पी.एम.एल-14	02.07.2020

उपरोक्त व्याख्याताओं का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालय/अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित व्याख्याताओं की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जाये। आरपीआरईएस कार्मिकों को निर्देशानुसार दिनांक 01.07.2011 से पूर्व का एरियर राज्य सरकार द्वारा देय नहीं है।

(Handwritten Signature)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

दिनांक : 2/10/2020

क्रमांक: शिधिरा-मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/एसीपी/2019-20
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,
- 2 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक,
- 3 संबंधित प्रधानाचार्य
- 4 संबंधित कार्मिक
- 5 अनुगाम अधिकारी कम्प्यूटर अनुगाम कार्यालय हाजा को विभागीय देवरसाईट पर अपलोड हेतु।
- 6 रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर